संख्या- ए. 20011/33/2020- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 19 फरवरी, 2020

सेवा में,

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र और मुख्यालय के सभी अनुभाग।

विषय: <u>केन्द्रीय राजभाषा समिति की 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित राजभाषा संबंधी बिंदुओं का अनुपालन।</u>

महोदय,

गृह मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर 2019 और दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के पत्र संख्या-20011/02/2016-हिंदी की छाया प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षकों और निदेशालय के सभी अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है।

2. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि संलग्न पत्रों में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर अपनी तरफ से कार्रवाई सहित निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्रवाई करें :-

(क) सरकारी कामकाज में कठिन हिंदी के बजाय सरल हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।

(ख) समस्त केन्द्रों एवं अनुभागों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।

(ग) सभी केन्द्रों और अनुभागों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर (तिमाही समाप्त होने के बाद प्रथम सप्ताह तक) प्रमाण-पत्र सहित भेजना सुनिश्चित करना चाहिए।

(घ) कार्यालय की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और यह डिफाल्ट रूप में हिंदी में खुलनी चाहिए तथा उसमें अंग्रेजी लिंक दिया जाना चाहिए।

(ङ) कार्यालय में अधिकारियों द्वारा स्वंय हिंदी में कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(च) सभी केन्द्रों में हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए और इनमें लगभग आधा समय अभ्यास के लिए होना चाहिए।

(छ) 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों से हिंदी में पत्राचार के साथ-साथ कार्यालय में हिंदी टिप्पण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।

3. आप से अनुरोध है कि संलग्न पत्र के अनुसार उपर्युक्त बिंदुओं पर सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं और इस संबंध में अद्यतन प्रगति से इस निदेशालय को दिनांक 01 मार्च 2020 तक अवगत कराएं ताकि गृह मंत्रालय को अवगत कराया जा सके।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर) 19.02.2020

(डॉ. आर. के. सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

<u>संलग्नक</u>: यथोपरि

<u>प्रतिलिपि</u>.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ
3. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
4. सभी अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.
5. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
7. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक:- विभाग के वेब साइट के माध्यम से सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।

सं. 20011/02/2016-हिंदी

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
एन.डी.सी.सी.II बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NDCC-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI - 110001

सत्यमेव जयते

1200
4/11/19

2026
6-11-19

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

निदेशक,
पुलिस-संचार समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार,
खण्ड-9, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003.

विषय:- सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2019 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 41वीं बैठक में उठाए गए मुद्दे – अनुवर्ती कार्रवाई।

सचिव, राजभाषा विभाग, की अध्यक्षता में, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 41वीं बैठक का आयोजन दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को किया गया जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (सीआईसी) तथा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) द्वारा भाग लिया गया।

बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई :-

- प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट शत प्रतिशत द्विभाषी होनी चाहिए तथा अंग्रेजी और हिंदी के पृष्ठों की संख्या समान होनी चाहिए। इस कार्य की निगरानी कार्यालय के संबंधित राजभाषा अधिकारी द्वारा की जाए और इसकी समीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जानी चाहिए।
- प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट (By default) हिंदी में खुलनी चाहिए तथा उसमें अंग्रेजी लिंक दिया जाना चाहिए।
- कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
- अनुवाद में भाषा की सरलता और सहजता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कार्यालय में अनुवाद के स्थान पर मूल रूप से हिंदी में कार्य करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं हिंदी में कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हुए तदनुसार गृह मंत्रालय को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23438192
ई-मेल: dir_ol@nic.in

JD(A) Personal Section
Dy. No.: 259
Dated : 06-11-19

05/11/2019

अपर निदेशक अनुभाग
Addl. Director Section
डा.सं. 2268
Dy. No.
दिनांक 18/12/19

1386
16.12.19

संख्या-20011/02/2016-हिन्दी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

***

स.नि.(प्रशा.) का निजी अनुभाग
JD(A) Personal Section
Dy. No. 446
Dated : 18-12-19

एनडीसीसी-।। भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,
दिनांक:11 दिसम्बर, 2019

हिन्दी अनुभाग
डायरी सं० 310
दिनांक 20.12.19

सेवा में,

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन समस्त संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय: <u>केन्द्रीय राजभाषा समिति की 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित राजभाषा संबंधी बिंदुओं का अनुपालन।</u>

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग की सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 से केन्द्रीय राजभाषा समिति की 41 वीं बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों के अनुसार समस्त कार्यालयों से निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है:-

1. सरकारी कामकाज में कठिन हिंदी की बजाय सरल हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
2. समस्त कार्यालयों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।
3. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. सभी कार्यालयों को अपनी ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा अर्थात 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र सहित भेजना सुनिश्चित करना चाहिए।

अ० नि० द०

हि० अनुभाग द्वारा

स.नि.(A)

स.नि.(प्रशा.)

18/12

निदेशक महोदय की टिप्पणी के अनुसार अनुपालन करें
19.12.19

19.12.2019

5. समस्त कार्यालयों की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और इसे डिफाल्ट रूप में हिंदी में खुलना चाहिए।
6. हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए और इनमें लगभग आधा समय अभ्यास के लिए होना चाहिए।
7. हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना चाहिए।
8. सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए तथा कार्मिकों को इन पर हिंदी में कार्य भी करना चाहिए।
9. 'क','ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों से हिंदी में पत्राचार के साथ-साथ कार्यालय में हिंदी टिप्पण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।

2. आपसे अनुरोध है कि अपने मुख्यालय के साथ-साथ इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित करते हुए उपर्युक्त बिंदुओं पर सम्यक् कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं और इस संबंध में अद्यतन प्रगति से इस मंत्रालय को अविलंब अवगत करवाएं।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23438192
ई-मेल: dir_ol@nic.in

प्रतिलिपि:

1. गृह मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वे कृपया उपर्युक्त में से स्वयं पर लागू बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हुए राजभाषा हिन्दी के समुचित कार्यान्वयन में योगदान दें।
2. एनआईसी (कृपया इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें)।